

372

प्रेषक,

मयंक कुमार जैन,
जनपद न्यायाधीश
आगरा।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक—

3649/XV

दिनांक: अगस्त, 26, 2020

विषय:—

शासकीय वाहन संख्या यू.पी.80-ए.जी.-1177 के निजी प्रयोग विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय न्यायालय को सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 23.07.2020 व 24.07.2020 को आगरा से शामिल जाने व वापिस आने हेतु शासकीय वाहन संख्या यू.पी. 80-ए.जी.-1177 इन्नोवा क्रिस्टा का उपयोग किया गया था। उक्त यात्रा चूंकि निजी यात्रा थी, अतः आगरा से शामिल तक आने व जाने में शासकीय वाहन का 656 किलोमीटर के लिए प्रयोग किया गया।

शासनादेश संख्या-सी0ए0-1415/दस-2002-मित-2/2001 दिनांकित 28.09.2002 के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी राजकीय वाहन का 200 किलोमीटर तक निजी उपयोग कर सकेंगे, इससे अधिक के उपयोग पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा 3.00 रूपया प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त राशि राजकीय कोष में जमा की जायेगी।

इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगरा से शामिल तक जाने व आने में अधिकृत 200 कि०मी० घटाकर शेष 456 किलोमीटर की दूरी हेतु 3.00 (तीन रूपया) प्रति कि०मी० की दर से प्रयोग किये गये ईंधन का मूल्य मु० 1,368/- चालान द्वारा दिनांक 25.08.2020 को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, आगरा में जमा करा दिया गया है। जमा की गई धनराशि से सम्बन्धित चालान की छाया प्रति माननीय न्यायालय के परिशीलनार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आख्या तदनुसार माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

Munak
26.08.2020
(मयंक कुमार जैन)
जनपद न्यायाधीश,
आगरा।

संलग्नक: चालान की छाया प्रति

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-2)
प्रपत्र संख्या-43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा
- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
 - पता
 - पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
 - जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

उपकोषागार / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छीपीटोला आगरा
मयंक कुमार जैन, जनपद न्यायाधीश, आगरा।

मयंक कुमार जैन, जनपद न्यायाधीश, आगरा।

श्री मयंक कुमार जैन, जनपद न्यायाधीश, आगरा द्वारा सरकारी वाहन सं यू.पी.0 80ए.जी 1177 इनोवा क्रिस्टा से दिनांक 23.07.2020 व 24.07.2020 को निजी कार्य से आगरा से शामली आने जाने में कुल 656 कि०मी० का इस्तेमाल किया गया। अधिकृत 200 कि०मी० घटाकर शेष 456 कि०मी० का 3/-प्रति कि०मी० की दर से मु० 1368/-की धनराशि अदा की जाती है।

- चलान की सकल राशि
- चलान की निबल राशि
- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर :

मु० 1368/-रूपये (एक हजार तीन सौ अठसठ रूपये मात्र)
मु० 1368/-रूपये (एक हजार तीन सौ अठसठ रूपये मात्र)
0070608000900

- लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक उप मुख्य-शीर्षक लघु-शीर्षक उप-शीर्षक व्योरेवार शीर्षक धनराशि(अंको में)

0	0	7	0	6	0	8	0	0	0	9	0	0	1368
												योग	1368

धनराशि (शब्दों में): (एक हजार तीन सौ अठसठ रूपये मात्र)


चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

Mayank Kumar
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर 25-8-2020
DISTRICT JUDGE
AGRA

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या अंको में रू०

दिनांक शब्दों में रू० प्राप्त किया।



प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
बैंक की मुहर सहित